

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या एम0ई0-1/2021/1934

लखनऊ दिनांक 05 मई, 2021

कोविड-19 महामारी के संघर्ष में स्वास्थ्यकर्मियों को सेवा का अवसर

कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर के प्रभावी होने के दृष्टिगत कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेज यथा-कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ, झाँसी, गोरखपुर, अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर, बोंदा तथा बदायूँ, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-अयोध्या, बस्ती, बहराईच, शाहजहाँपुर तथा फिरोजाबाद, डा० राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ, एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ, सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ग्रेटर नोएडा, सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं शिक्षण संस्थान, नोएडा, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उ०प्र०आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा में स्थापित कोविड चिकित्सालयों तथा कोविड जॉच लैबों में जनशक्ति की कमी को दूर करने हेतु निजी क्षेत्र के एवं सेवानिवृत्त चिकित्सक/नर्स/पैरा मेडिकल स्टाफ को कोविड वार्डों में ड्यूटी हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से एन०एच०एम० की दरों पर मानदेय के आधार पर कोविड वार्डों में तैनात किये जाने वाले कार्मिकों को 25 प्रतिशत तथा कोविड जॉच लैब हेतु 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि पर इन्गेज किये जाने का निर्णय शासनादेश संख्या 693/71-1-2021-जी०-228/2017टी०सी०-10 दिनांक 06 मई, 2021 द्वारा लिया गया है। उक्त के क्रम में पदवार मानदेय एवं प्रोत्साहन धनराशि सम्मिलित करते हुये विवरण निम्नवत है :-

क्र. सं.	पदनाम	मानदेय प्रतिदिन प्रति सिफ्ट	न्यूनतम अर्हता	अभ्युक्ति
कोविड वार्ड हेतु				
1	निश्चेतक, फिजीशियन, चेस्ट फिजीशियन	5,000/-	पोस्ट ग्रेजुएट	वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से
2	चिकित्सक	2,500/-	एम०बी०बी०एस०	वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से
3	एम०बी०बी०एस० इन्टर्न	500/-	एम०बी०बी०एस० उत्तीर्ण	इन्टर्नशिप स्टाइपेन्ड के अतिरिक्त
4	एम०बी०बी०एस० अंतिम वर्ष	300/-	एम०बी०बी०एस० अंतिम वर्ष के छात्र/छात्रायें	अध्ययनरत कालेज हेतु ही मान्य
5	मॉलीब्यूलर माइक्रोबायोलॉजिस्ट	2541/-	उ०प्र०शासन द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता/अनुभव	वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से
6	स्टाफ नर्स	750/-		सम्बन्धित मेडिकल कालेजों/संस्थानों में कार्यरत सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से
7	एम०एस०सी० नर्सिंग छात्र/छात्रायें	400/-		
8	बी०एस०सी०/जी०एन०एम० नर्सिंग छात्र/छात्रायें	300/-		
9	वार्ड व्याय/सफाई कर्मचारी	359/-		
कोविड जॉच लैब हेतु				
10	लैब टेक्नीशियन	495/-	उ०प्र०शासन द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हता/अनुभव	सम्बन्धित मेडिकल कालेजों/संस्थानों में कार्यरत सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से
11	डाटा इन्ट्री आपरेटर	421/-		
12	लैब अटेंडेन्ट	359/-		

क्रम संख्या 01 से 05 तक के पदों पर चयन की कार्यवाही वॉक इन इन्टरव्यू के माध्यम से सम्बन्धित कालेज/संस्थान के प्रधानाचार्य/निदेशक/कुलसचिव के माध्यम से की जायेगी तथा क्र०सं० 06 से 12 तक के पदों पर तैनाती सम्बन्धित मेडिकल कालेजों/संस्थानों में वर्तमान में कार्यरत सेवा प्रदाता एजेन्सी के माध्यम से की जायेगी। कार्मिकों को इन्गेज किये जाने हेतु दिशा निर्देश निम्नवत हैं :-

- कार्मिकों हेतु माह में न्यूनतम 14 दिन की कोविड ड्यूटी अनिवार्य होगी।
- इंगेज किये जाने वाले कार्मिकों को शासन के वर्तमान नीति के अनुसार भोजन तथा एक्टिव क्वारण्टाइन की सुविधा अनुमन्य होगी
- उक्त योजना दिनांक 01 मई, 2021 से 31 जुलाई, 2021 तक लागू रहेगी।

विस्तृत विवरण इस कार्यालय की वेबसाइट dgmeup.in पर उपलब्ध है।

महानिदेशक